न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 02 / 2020

कुरडाराम भास्कर पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी ग्राम बिड़ोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)

—प्रार्थी

— बनाम —

1. सुरेश कुमार भास्कर पुत्र कुरडाराम भास्कर जाति जाट निवासी ग्राम बिड़ोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।
2. मोहनी देवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अंधारा 111, 128 रा0भू0राज0 अधि0
पत्थरगड्डी करवाने बावत।

निर्णय

निर्णय दिनांक 21—01—2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम नवलगढ़ पटवार हल्का नवलगढ़ की सरहद में नई खाता संख्या 310 की भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 1.3310 हैक्टर स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1209 / 2662 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी की उपरोक्त भूमि के सटकर खसरा नम्बर 1621, 1622 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में राजकीय दर्ज है, जिसकी मालिकाना हक राजस्थान सरकार है, इसलिये प्रार्थना पत्र में भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के पश्चिम में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1621, 1622 जो राजकीय भूमि है इसलिये प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार नवलगढ़ के न्यायालय में सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया श्रीमान तहसीलदार नवलगढ़ के आदेशानसुार पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का नवलगढ़ द्वारा विधि अनुसार सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1621, 1622 की उतरी पश्चिमी दक्षिणी सीमा जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1624 से सटकर है अर्थात खसरा नम्बर 1621, 1622 की उतरी पश्चिमी दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 1624 के सटकर सीमा पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1624 की सीमा जो खसरा नम्बर 1621, 1622 से सही हुई है उस सीमा पर अपनी खातेदारी की भूमि में सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नवलगढ़ पटवार हल्का नवलगढ़ की सरहद में स्थित नई खाता संख्या 310 की भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 1.3310 हैक्टर की सीमा पर खसरा नम्बर 1621, 1622 की उतरी पश्चिमी दक्षिणी सीमा से सटकर है, पर पत्थरगडी करवाये जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 3 का आदेश देने की कृपा करे। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 3 को तहरीर जारी करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 की ओर से वकील श्री विकास कुमार सैनी ने वकालत नामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही कर वकील

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने पत्थरगडी करने की अनापति जाहिर की गई। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 22.05.18 को वर्णित भूमि की सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। अतः बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के अनुसार भूमि की खातेदारी आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 2 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके सटकर खसरा नम्बर 1621 व 1622 का सीमाज्ञान नियमानुसार पटवारी हल्का नवलगढ एवं गिरदावर हल्का से दिनाक 22.05.2018 को करवाया गया। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1621 व 1622 तथा खसरा नम्बर 1624 के बीच की सीमाओं पर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगडी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। दिनांक 22.05.2018 को सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि मे पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में स्थित नई खाता संख्या 310 की भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 1.3310 हैक्टर की सीमा पर खसरा नम्बर 1621, 1622 की उतरी–पश्चिमी–दक्षिणी सीमा से सटकर है, पर प्रार्थी के सीमाओं पर सीमाज्ञान कर नियमानुसार शुल्क राजकोष जमा करवाये जाकर पत्थरगड्डी करवाये जाने बावत तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है प्रार्थी एवं अप्रार्थी की मौजुदगी में ही सीमाज्ञान कर पत्थरगड्डी करेगे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21–01–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनूप सिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner